

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
आदेशांक-वा0क0अधि0/अ0हस्ता0/ /2022 लखनऊ:दिनांक 01, जनवरी 2022
--: आदेश :-


सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-5, वाराणसी के पत्रांक-33/2022, दिनांक 15.01.2022 पर सम्यक् विचारोपरान्त वैट एक्ट की धारा-57(12)(ई)(ii) के अंतर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-5, वाराणसी के साथ संलग्न सूची के अनुसार लम्बित द्वितीय अपीलों को पीठ-1, वाराणसी की पत्रावली पर नियमानुसार निस्तारण हेतु अंतरित किया जाता है।

क्रम सं०	पीठ का नाम जहां से अपीलों का स्थानान्तरण किया जाना है	पीठ का नाम जिनको अपीलों का स्थानान्तरण किया गया है	अपीलों की सूची
1	सदस्य पीठ-5, वाराणसी	सदस्य पीठ-1, वाराणसी	संलग्न सूची के अनुसार द्वितीय अपीलों, विविध प्रा०पत्र व दूषित अपीलों

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

ह०-28.01.2022
(जितेन्द्र कुमार सिंह)
एच०जे०एस०
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/अ0हस्ता0/177/2022, दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1-सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-5, वाराणसी। (मयसूची के)
2-सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, वाराणसी को उपरोक्त अपीलों इस आशय से हस्तान्तरित कि उनका निस्तारण नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करें।(मयसूची के)
3-असि० कमि०/रा० प्रति० 1 व 5 वाराणसी को सूचनार्थ प्रेषित।
4-वरिष्ठ सहायक विवरण, मुख्यालय।
5-आदेश की अनुरक्षण पत्रावली हेतु।(मयसूची के)
6-वेव अधिकारी मुख्यालय (मयसूची)

आज्ञा से,


निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

